

5.1

निदेशक कैम्प
संख्या... 1261/G.....
दिनांक... 17.12.16.....

उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1
संख्या-3478/60-1-16-1/13(69)/04
लखनऊ: दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

शुद्धि पत्र

(6)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधित अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या-33 सन्-2006) द्वारा यथासंशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या-56 सन्-2000) की धारा-29 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2007 के नियम-91 के अधीन जनपदों में बाल कल्याण समिति के गठन सम्बन्धी अधिसूचना सं०-3453/60-1-16-1/13(69)/04, दिनांक 14.12.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

Dy CPO(m)/
J.D.

2- इस सम्बन्ध में जनपद सहारनपुर/लखीमपुरखीरी/उन्नाव/बाराबंकी/गाजियाबाद/इलाहाबाद/सिद्धार्थनगर/सीतापुर/औरैया/बौदा/महोबा/चित्रकूट/देवरिया तथा कौशाम्बी की सूची के क्रमांक-1 पर अंकित सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है।

3- उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

17/12/16

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव


संख्या-³⁴⁷⁸~~3478~~(1)/60-1-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर इसकी एक हजार प्रतियां अनुभाग अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1, बापू भवन द्वितीय तल, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ तथा एक हजार प्रतियां निदेशक, महिला कल्याण, आठवा तल आशोक मार्ग, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- सचिव, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

.....2

- 3- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, चन्द्रलोक बिल्डिंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग/श्रम विभाग/गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- निदेशक, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि वे इस अधिसूचना की प्रतियां समस्त जिलाधिकारियों/समस्त जिला जजों/समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारियों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 6- महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ०प्र०।
- 7- श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, मा० अध्यक्ष, चयन समिति द्वारा निदेशक, महिला कल्याण।
- 8- समस्त बाल कल्याण समिति के सदस्यगण द्वारा निदेशक, महिला कल्याण।
- 9- निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
- 10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री जी के अवगतार्थ।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
संयुक्त सचिव